A Detail note on Forest Soil Productivity or lack of it.

वन भूमि उत्पादकता या इसकी कमी के बारे में विस्तृत नोट

(नवीन चेक लिस्ट कंडिका क 38 का संग्लनक)

विषयांकित संदर्भ में जानकारी निम्नवत् है:–

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा 765 के.व्ही. द्विपरिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) तक संचरण पथ 2nd का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंर्तगत विद्युत लाईन के मार्ग में रायगढ़ वन मण्डल के घरघोड़ा, खरसिया, एवं तमनार वन परिक्षेत्र में वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसका कुल रकबा 93.1635 हेक्टे. है। जिसमें घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में 17.2190 हे., तमनार वन परिक्षेत्र में 65.79400 हे. एवं खरसिया वन परिक्षेत्र में 10.1505 हे भूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित विद्युत लाईन के मार्ग में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि में वृक्षों का औसतन घनत्व 0.1 से 0.5 के मध्य है एवं प्रभावित क्षेत्र में साल, साजा, बीजा, चार, महुआ, नीम, केकट, सरसींवा, तेन्दू, बबुल, आम तथा अन्य मिश्रित जलाउ प्रजाती के वृक्ष सम्मिलित हैं। उक्त विद्युत लाईन रायगढ़ वन मण्डल के वन क्षेत्र में अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजर रही जिसकी उपरी सतह प्राकृतिक कारणों से कड़ी, मुरमी एवं पथरीली किस्म की है। विद्युत लाईन के निर्माण के लिये प्रस्तावित तीन विकल्पों में से न्युनतम वन क्षेत्र वाले विकल्प का चयन किया गया है जिसमें वन भूमि को कम से कम हानी हो रही है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी घरघोड़ा	वन परिक्षेत्र अधिकारी तमनार वन परिक्षेत्र अधिकारी तमनार	उप वनमण्डलाधिकारी घरघोड़ा

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल रायगढ़
छत्तीसगढ़